कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर छत्तीसगढ़

—: विविध आदेश :—

कमांक **1349**/कार्या./2020 रायपुर, दिनांक 31.10.2020

वर्तमान में वैश्विक कोरोना संकट को देखते हुए माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के **आदेश कमांक 79 दिनांक 15.07.2020 द्वारा न्यायालयो का नियमित एवं सामान्य कामकाज आगामी आदेश तक पूर्ववत स्थगित रखे जाने का निर्देश दिया गया है।** उक्त अवधि में सत्र/ अतिरिक्त सत्र न्यायालयों द्वारा जमानत आवेदनों/ अन्य अत्यावश्यक मामलो की सुनवाई हेतु निम्नानुसार अत्यावश्यक व्यवस्था की जाती है:—

मुख्यालय रायपुर हेतु :—

क	दिनांक		अतिरिक्त सत्र न्यायालय का नाम
1-	02-11-2020	1/	श्रीमती लीना अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		2/	श्री सुमित कपूर, एकादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
2-	03-11-2020	1/	श्री सुरेश कुमार जून, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर
		2/	श्री बलाराम साहू, षष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
3-	04-11-2020	1/	श्री राजेन्द्र वर्मा, अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		2/	श्रीमती प्रतिभा वर्मा, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
4-	05-11-2020	1/	श्रीमती सरिता दास, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		2/	श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
5-	06-11-2020	1/	श्रीमती लीना अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		2/	श्री सुमित कपूर, एकादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
6-	07-11-2020	1/	श्री सुनील कुमार नन्दे, विशेष न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) रायपुर
		2/	श्री आनंद प्रकाश दीक्षित, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
7-	09-11-2020	1/	श्री सुनील कुमार नन्दे, विशेष न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) रायपुर
		2/	श्री अनिल कुमार पाण्डेय, दशम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
8-	10-11-2020	1/	श्री राजेन्द्र वर्मा, अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		2/	श्रीमती सरिता दास, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
9-	11-11-2020	1/	श्री सुरेश कुमार जून, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर
		2/	श्री बलाराम साहू, षष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर

10-	12-11-2020	1/ श्रीमती प्रतिभा वर्मा, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		2/ श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर

(1) उक्त न्यायिक अधिकारियों में से कमांक 01 के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किये जायेगें जिनके द्वारा ही जमानत आवेदन सुनवाई हेतु केस डायरी/ प्रकरण आहूत कर आगामी तारिख सुनवाई हेतु नियत करने की कार्यवाही की जावेगी ।

(2) किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर से संबंधित जमानत आवेदन (अपील) तथा एफ.टी.सी. न्यायालय से संबंधित जमानत आवेदनों की सुनवाई दिनांक 02.11.2020, 04.11.2020, 06.11.2020, 09.11.2020 एवं 11.11.2020 को श्रीमती पूजा जायसवाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर के द्वारा की जावेगी। उक्त आवेदन/अपील एफ.टी.सी. रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा, जिनके द्वारा सुनवाई कर विधिवत निराकरण किया जावेगा।

(3) रायपुर मुख्यालय क्षेत्र से संबंधित विशेष न्यायालय (पाक्सो) के रिमांड और अत्यावश्यक कार्यों का संपादन दिनांक 01.11.2020 से 16.11.2020 तक सुश्री राधिका सैनी, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट "पाक्सो"), रायपुर द्वारा संपादित किया जायेगा।

(4) उसी प्रकार बाह्य न्यायालय गरियाबंद से उद्भूत एवं संबंधित पाक्सो के अत्यावश्क मामले और रिमांड कार्यों का संपादन श्री राजभान सिंह, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) गरियाबंद के द्वारा उपरोक्तानुसार ही संपादित किया जायेगा।

(5) उक्त अवधि में एन.डी.पी.एस. से संबंधित अत्यावश्यक मामले/ रिमांड कार्यों का संपादन श्री राकेश कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) रायपुर के द्वारा संपादित किया जायेगा।

(6) उक्त अवधि में विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) रायपुर से संबंधित अत्यावश्यक कार्य / रिमांड कार्य का संपादन श्री विजय कुमार होता, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रायपुर के द्वारा संपादित किया जायेगा।

बाह्य न्यायालय गरियाबंद हेतु :–

(विशेष न्यायालय पाक्सो/एट्रोसिटीज/एन.डी.पी.एस के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनों को छोड़कर)

क्र0	दिनांक	अतिरिक्त सत्र न्यायालय का नाम
1-	02-11-2020	श्री अगम कुमार कश्यप, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरियाबंद
2-	04-11-2020	
3-	06-11-2020	
4-	09-11-2020	
5-	11-11-2020	

नोटः— (1) पूर्व से प्रस्तुत और लंबित धारा— 438, 439 द0प्र0सं0 के आवेदनों को सुनवाई हेतु दिनांक **02.11.2020** को संबंधित न्यायाधीशों के समक्ष रखा जावेगा, जो विधि अनुसार आवेदनों का निराकरण करेंगे।

(2) उक्त अवधि में धारा—438 एवं 439 द.प्र.सं. के नवीन/प्रथम जमानत आवेदन को ही सुनवाई हेतु ग्रहण किया जावेगा, जो उपरोक्त ड्यूटी न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) सत्र न्यायालय/अतिरिक्त सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय में पूर्व से लंबित सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण में प्रस्तुत जमानत आवेदन सुनवाई हेतु ग्रहण नहीं किये जायेंगे। परन्तु जिस न्यायाधीश की डयूटी जमानत आवेदनों की सुनवाई हेतु जिस दिनांक को लगायी गई है, उसी दिनांक को उस न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित मांमलों से संबंधित जमानत आवेदन उस न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते है, जिसका निराकरण उसी दिनांक को संबंधित ड्यूटी न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा। बाह्य न्यायालयों में लंबित मामले में जमानत आवेदन संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, जिसका निराकरण उनके द्वारा विधि अनुसार किया जावेगा।

(4) ऐसे मांमलों के द्वितीय या पश्चातवर्ती जमानत आवेदन जो लंबित सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण से संबंधित नहीं है, बल्कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य अपराध से संबंधित है, और जो रिमाण्ड स्टेज पर है, या मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, ऐसे मांमलों से संबंधित द्वितीय/पश्चातवर्ती जमानत आवेदन, उक्त दिनांक को जमानत डयूटी कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगे, जो मांमले से संबंधित केस डायरी/लंबित प्रकरण (जैसे भी स्थिति हो) आहूत करने का आदेश करेंगे और जमानत आवेदन को उस दिन सुनवाई हेतु रखेंगे, जिस दिन उस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की डयूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा पूर्व के जमानत आवेदन का निराकरण किया गया है और ऐसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन का विधिवत निराकरण किया जावेगा। ऐसे जमानत आवेदन में आवेदक/ अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा कि पूर्व का जमानत आवेदन का याचिका कमांक क्या था तथा किस न्यायालय द्वारा किस दिनांक को पूर्ववर्तीय जमानत आवेदन निराकृत किया गया है।

(5) जिस न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत होता है, वे ही आगामी तारिख के लिए सुनवाई नियत कर केस डायरी और प्रतिवेदन संबंधित थाने से रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से आहूत करेंगे।

(6) जमानत आदेश का निष्पादन की कार्यवाही संबंधित रिमाण्ड/डयूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

(7) उपरोक्त कार्य संबंधित न्यायाधीश अपने न्यायालय कक्ष में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर सम्पादित करेंगे।

(8) माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा न्यायालयों का नियमित और सामान्य कामकाज प्रारंभ करने के संबंध में कोई अन्य व्यवस्था/आगामी आदेश जारी किये जाने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

सही/–
(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठां कमांक : **1350**/कार्यालय/2020 रायपुर, दिनांक 31.10.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
2. विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज/सी.बी.आई, रायपुर ।
3. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर।
4. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर/गरियाबंद।
5. प्रथम/ द्वितीय /तृतीय /चतुर्थ/ पंचम/षष्ठम /सप्तम/अष्टम/नवम/ दशम/ एकादश/द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर/गरियाबंद।
7. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर।
8. प्रथम/द्वितीय/तृतीय /पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, रायपुर/गरियाबंद।
9. प्रथम/द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम/ सप्तम/ अष्टम/नवम/दशम/एकादश/द्वादश/त्रयोदश/चतुर्दश/पंचदश/षष्ठदश/सप्तदश/अष्टदश/नवमदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, रायपुर/तिल्दा/राजिम/देवभोग ।
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर ।
11. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर/गरियाबंद। (जे.एम.एफ.सी. राजिम)
12. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर/गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/देवभोग की ओर आदेश की प्रतिलिपि (उनके न्यायालयों) के नोटिस बोर्ड पर अधिवक्तागण एवं जन सामान्य की जानकारी हेतु चस्पा करने हेतु ।
13. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर आदेश की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराये।
14. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग एवं समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की ओर अपने–अपने अनुभाग/ न्यायालय में पदस्थ कर्मचारियों के मध्य सामान्य विधि से अथवा ई–मेल या वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
15. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, रायपुर

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)